

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला-फलोदी  
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 252/2022  
दायर दिनांक :- 02.09.2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/402  
निर्णय दिनांक:- 23.09.2025

1. कायमदीन पुत्र मुबारक खां जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. जमालदीन पुत्र मुबारक खां जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. पीरबक्स पुत्र मुबारक खां जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
4. मालकदीन पुत्र मुबारक खां जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5. रूपाली पत्नी अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रार्थीगण

बनाम

1. गुलाबनबी पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. जामदीन पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. मेहर खातु पत्नी अलादीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
4. सलामदीन पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5. सायबदीन पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी

-अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का पेश है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से पर कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने

A 23.9.25

की पूरी-पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 232/200 रकबा 47.0774 हैक्टेयर सरहद मौजा अजेरी पटवार क्षेत्र नूरे की भूर्ज तहसील जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी सं. 1 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी सं. 2 का 171/1141 हिस्सा, प्रार्थी सं. 3 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी सं. 4 का 913/5705 हिस्सा, प्रार्थी सं. 5 का 514/5705 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 का 3/70 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 का 3/70 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 का 1/35 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 4 का 3/70 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 का 3/70 हिस्सा बंट में आता है। नकल वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076-2079 हिस्सा व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का आपसी सहमति का मौके पर मौखिक बंटवाड़ा पूर्व में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कर लिया था। उपरोक्त मौखिक बंटवाड़ा अनुसार ही मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है, इसी अनुसार मौके पर प्रार्थीगण ने अपनी-अपनी रहवासीय ढाणिया, पानी के टांके व पशुओं के बाड़े इत्यादि बन रखे हैं। उक्त रहवासीय ढाणिया, में प्रार्थीगण अपने-अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे हैं तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि को खाद बीज वगैरा डाल कर आधुनिक तरीके से तैयार किया है। उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड में सामलाती है। अप्रार्थीगण अपनी कब्जा काश्त वाली भूमि को छोड़ कर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त वाली भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड सामलाती रहते प्रार्थीगण को काश्त करने में भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम अजेरी पटवार क्षेत्र नूरे की भूर्ज तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 232/200 रकबा 47.0774 हैक्टेयर भूमि का अपने एवं अप्रार्थीगण के मध्य संलग्न नजरी नक्शा व आपसी सहमति के बंटवाड़ा अनुसार बंटवाड़ा करवा कर इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में अलग-अलग खाते कायम करवाने एवं इसी अनुसार ही नक्सा लट्ठा में तरमीम करवाने के अधिकारी हैं। नजरी नक्सा संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है जिसे उक्त वाद का अभिन्न हिस्सा माना व समझा जावे। अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा, जिसका मुल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है, प्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण साधन संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति है एवं संख्याबल में ज्यादा होने से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण का मुकाबला करने में असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जावे की ग्राम अजेरी पटवार क्षेत्र नूरे की भूर्ज तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 232/200 रकबा 47.0774 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से व प्रार्थीगण द्वारा तैयार की गई भूमि में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार

की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण रखें करे और न ही किसी अन्य से करावें, जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगोदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश गोदारा ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं—

### प्रथम दृष्ट्या मामला

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम अजेरी के खाता संख्या 13 सम्वत् 2076-79 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर हिस्सा किस स्थान पर है इसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त की तय किया जाना है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित काश्तकार होने के कारण उपयोग एवं उपयोग करने स्वतंत्र अधिकार है। अभिलिखित सह खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित नहीं है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

### सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम सुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह काश्तकार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण जारी की जाती है

तो अप्रार्थीगण अपने प्राथमिक अधिकारों यथा उपयोग व उपभोग आदि सुविधाओं से वंचित हो सकता है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

### अपूर्णिय क्षति

अपूर्णिय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्त्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन के दोनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

### —:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

 23.9.25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी)